

5000Rs.



(श्री)

भूमि का विनीमय पत्र

भूमि का बाजार मूल्य रुपये १,५७,५००/- स्टाम्प डियुटी रुपये १२,६००.००

भूमि ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १
दोबस्त नंबर तहसील व जिला खण्डवा म.प्र.

ग्राम मोरघड़ी की भूमि - खसरा नंबर ५१४ रकबा ०.५९ हेक्टेयर सिंचित भूमि होकर इसमें कोई वृक्षा नहीं हैं इस जमीन की भू अधिकार एवं ऋण पु. क्रमांक N 4319 हैं. इसका बाजार मूल्य रुपये १,२४,०००/-
का
खसरा नंबर ६०६ रकबा ०.७५ हेक्टेयर सिंचित होकर इसमें कोई वृक्षा नहीं हैं, इस जमीन की भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्र. K 210872 है इसका बाजार मूल्य रुपये १,५७,५००/- है.
के साथ विनीमय किया गया है.

यह विनीमय विलेख विलेख हम -

प्रथम पक्ष :-



पन्नालाल पिता जोगीलाल गुजर उम्र ४२ साल, निवासी मोरघड़ी तहसील व जिला खण्डवा म.प्र. जिन्हें इस लेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथम पक्ष इस नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, (जिसमें इन्हों के समस्त निष्पादक, प्रशासक, असायनीज, वैध उत्तराधिकारी एवं समस्त हितबंध व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)

एवं

द्वितीय पक्ष



गिरधारीलाल पिता हीरालालजी सोनी आयु ४८ वर्ष, निवासी आजाद मार्ग सनावद टप्पा तहसील सनावद जिला खरगोन म.प्र. जिन्हें इस लेख में सुविधा की दृष्टि से द्वितीय पक्ष इस नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, (जिसमें इन्हों के समस्त निष्पादक, प्रशासक, असायनीज, वैध उत्तराधिकारी एवं समस्त हितबंध व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)

निरन्तर...पु/२

5000Rs.



(२)

के मध्य निम्नानुसार शर्तों एवं दायित्वों के अधिन लिखा जा रहा है, ऐसा कि -

(१) एक:- यह कि प्रथम पक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
५१४ (पाँच सौ चौदह)	०.५९ (शून्य हेक्टेयर उनसाठ आरे)	शा.लगान ख.नं. ९९ के रु.

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को- तुलसीराम पिता जोगीलाल की खसरा नंबर ५१३ की जमीन,
पश्चिम को- द्वितीय पक्ष गिरधारीलाल सोनी की खसरा नंबर ५१५ की जमीन.
उत्तर को - ओंकारेश्वर मार्ग,
दक्षिण को - आम रास्ता है.

(२) दो - यह कि द्वितीय पक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की द्वितीय पक्ष के नाम से दर्ज ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
६०६ (छः सौ छः)	०.७५ (शून्य हेक्टेयर पिचहत्तर आरे)	शा.लगान ख.नं. ५१ के रु. ७/- सात रुपये

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को- मयाराम भारुड़ की जमीन,

निरन्तर...पृ/३

पञ्चालाल

(Handwritten signature)



(३)

पश्चिम को- दुलीचंद नांदिया की जमीन,
 उत्तर को - आवागमन का मार्ग,
 दक्षिण को - प्रथम पक्ष पन्नालाल की खसरा नंबर ५८८
 एवं तुलसीराम भाई की ख.नं. ५८९ की जमीन है.

(३)तीन- यह कि प्रथम पक्ष की उक्त सर्वे नंबर ५१४ की जमीन द्वितीय पक्ष की खसरा नंबर ५१५ की जमीन के लगत में पूर्व तरफ स्थित होकर द्वितीय पक्ष की उक्त वर्णित जमीन खसरा नंबर ६०६ की जमीन प्रथम पक्ष की अन्य खसरा नंबर ५८८ के पिछे याने उत्तर तरफ स्थित है. दोनो पक्ष को वर्तमान स्थिति में काश्तकारी करने में भारी असुविधा होती है, प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त चरण १ में वर्णित जमीन द्वितीय पक्ष की उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर ६०६ (छः सौ छः) रकबा ०.५५ हेक्टेयर (शुन्य हेक्टेयर पिचहत्तर आरे) भूमि के बदले उक्त प्रथम पक्ष की खसरा नंबर ५१४ (पाँच सौ चौदह) रकबा ०.५९ हेक्टेयर (शुन्य हेक्टेयर उनसाठ आरे) से आपसी विनीमय सद्भावना पूर्वक काश्तकारी की सुविधा हेतु आपस में बिना कोई प्रतिफल के जमीन के बदले जमीन लेकर किया है, तथा इस विनीमय से अब उपरोक्त चरण १ एक में वर्णित ग्राम मोरघड़ी प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
५१४(पाँच सौ चौदह)	०.५९ (शुन्य हेक्टेयर उनसाठ आरे)	शा.लगान ख.नं. ९९ के रु.

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

पूर्व को- तुलसीराम पिता जोगीलाल की खसरा नंबर ५१३ की जमीन,
 पश्चिम को- द्वितीय पक्ष गिरधारीलाल सोनी की खसरा नंबर ५१५ की जमीन.
 उत्तर को - ओंकारेश्वर मार्ग,

E30
2012/03

(धुमस 200 E22 को साथ में 1000 है)

Accountant
Sub Treasury Sammad



हर
नरेश



पन्ना लाल

नरेश कुमार शर्मा
नरेश कुमार शर्मा (अ-0 200)

परालिपि लिपि लिखित है

पन्ना लाल
29 MAR 2003

Sidy
उप पंजीयक
सामान (अ-0)



पन्ना लाल

परालिपि लिपि लिखित है
पन्ना लाल
29 MAR 2003

Sidy
उप पंजीयक
सामान (अ-0)

1- हर

2- पन्ना लाल

3- नरेश कुमार शर्मा



(४)

दक्षिण को - आम रास्ता है.

की भूमि के द्वितीय पक्ष भूमि स्वामी हो गए एवं इस जमीन का आधिपत्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को दे दिया है द्वितीय पक्ष ने भी इस जमीन का आधिपत्य प्रथम पक्ष से मौके पर प्राप्त कर लिया है. अब इस जमीन पर द्वितीय पक्ष ने मालिक नाते से भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लेना एवं द्वितीय पक्ष ने भूमिस्वामी नाते से अपनी मरजी से इस जमीन का अपने वंश परम्परा के उपयोग उपभोग लेते जाना ।

उसी प्रकार से इस विनीमय से अब उपरोक्त चरण २ दो ग्राम मोरघडी, प.ह.नं. १ तहसील व जिला खण्डवा की कृषि भूमि -

खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	लगान रुपै- पैसे
६०६ (छ: सौ छ:)	०.७५ (शुन्य हेक्टेयर पिचहत्तर आरे)	शा.लगान ख.नं. ५१ के रु. ७/-सात रुपये

होकर इस जमीन की चतुःसीमा इस प्रकार है -

- पूर्व को- मयाराम भारुड़ की जमीन,
पश्चिम को- दुलीचंद नांदिया की जमीन,
उत्तर को - आवागमन का मार्ग,
दक्षिण को - प्रथम पक्ष पन्नालाल की खसरा नंबर ५८८

एवं तुलसीराम भाई की ख.नं. ५८९ की जमीन है.

यह वर्णित भूमि जो कि द्वितीय पक्ष के गिरधारीलाल के नाम से दर्ज है के मालिक अब प्रथम पक्ष याने पन्नालाल हो गए एवं द्वितीय पक्ष ने इस जमीन का आधिपत्य प्रथम पक्ष को दे दिया है, प्रथम पक्ष ने भी इस जमीन का आधिपत्य द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है. अब इस जमीन के भूमि स्वामी प्रथम पक्ष हो गए एवं प्रथम पक्ष ने इसका अब अपनी

(Signature)

९३१
२९३१०३

(१५५५ १६६ ९२२ को माघा संशोधन ६)

९२२
नरेन्द्र

Accountant
Sub Treasury Samroad

नरेन्द्र कुमार पाटनी
सहायक उप निदेशक (अ. प्र. ०)

17/3/03 No 9093
रसीद दस्तावेज खंगारह 73

मुकाब		मुकाब	
स	दस्त दस्त लिफ दाखि हवारख	फीस या मो मुहरखन्द काबत फीस लिखी हुई	तादाब फीस (अगर हो तो) दाखल गुदा
2	पन्ना/CGIC विपिन 157500	3	रजिस्ट्री के प्रोहदेवार के छोटे दस्तखत

दि. 29 MAR 2003
उप निदेशक
सप-पञ्जीयक
अभिक्षा (म. प्र.)



(५)

मरजी से अपने वंश परम्परा के मालिक नाते से उपयोग उपभोग लेते जाना एवं भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लेना एवं अपनी मरजी से मालिक नाते से इस जमीन का उपयोग उपभोग लेते जाना ।

(४) चार- यह कि उपरोक्त खसरा नंबर ६०६ (छ: सौ छः) की जमीन में आने जाने का बेलगाड़ी ओत वगैरा कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने का एवं पेदल आने जाने का रास्ता ओंकारेश्वर रोड़ से होकर बाद खसरा नंबर ६८७ (छ: सौ सत्यासी) की जमीन के पूर्वी मेड़ से दोनो चकरी का बारहमासी रास्ता पूर्व परम्परा का है सो भविष्य में भी इस मार्ग से प्रथम पक्ष ने आना जाना ।

(५) पाँच- यह प्रथम पक्ष पन्नालाल ने जो अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर ५१४ की जमीन द्वितीय पक्ष को दी है यह दी गई जमीन हर प्रकार के भार एवं विवाद से मुक्त सम्पत्ती है इस पर किसी किश्म का कोई भी भार या विवाद या अन्य कोई भी दावा झड़ा नहीं है यदि कोई भी विवाद या भार पाया जाता है तो इसकी जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी एवं इसकी देनदारी जवाबदारी भी प्रथम पक्ष की ही होगी । उसी प्रकार से द्वितीय पक्ष ने भी अपनी जो उक्त खसरा नंबर ६०६ की जमीन प्रथम पक्ष को दी है यह जमीन भी हर प्रकार के विवाद व भार से मुक्त सम्पत्ती हैं यदि इस पर भी किसी प्रकार का कोई भार या विवाद पाया जाता है तो इसकी हर किश्म की देनदारी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी इस प्रकार पूर्णतया भार मुक्त विवाद मुक्त भूमियों का हम दोनो पक्षों ने आपस में विनीमय किया है ।

यह विलेख काट पिट से मुक्त है।

अतएव यह विनीमय विलेख हमने पूर्ण होश हवास में राजी खुशि से बिना किसी

निरन्तर....पृ/६

पन्नालाल

(Handwritten signature)

e32
2012103

(समस्त १०० १२२ को साथ संशोधन है)




Accountant
Sub Treasury Sanaswad

~~१२२~~
~~१२२~~

नरेश कुमार घाटनी
रजिस्ट्रार कार्यालय, संशोधन

100Rs.



दबाव के सोच समझकर स्वस्थ चित एवं स्थिर बुद्धी से लिख दिया सो सही । इति
दिनांक २९ मार्च २००३ ई.

गवाह

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

१) श्री वि. ए. लाल शर्मा
पुस्तकालय प्रशासक

पुस्तकालय

२) श्री अ. ए. लाल शर्मा
२२२/२०५ अनामिका

(द्वितीय पक्ष)

अ. ए. लाल शर्मा

Drafted by me & Typed by my
Office

K. J. Chouhan
Advocate
(K. J. Chouhan)

२००३/३०

e33
2e12102

(रूपम एवम एरर के शक्ति संशोधन)

एरर
मेरर

~~विशेष~~
~~विशेष~~
~~विशेष~~

SSJ

नरेश कुमार पाटनी
स्टॉक एक्सचेंज (एन ० प्र०)

29 MAR 2008

199 को
7414
97-105

SSJ
(संस्थापक)



वर्गीयन
1405
25
1

1430

SSJ